an>

Title: Need to implement scheme of labour-material ratio to 49:51 under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and also include fencing work in the list of works approved under MGNREGS.

श्री ओम बिरला (कोटा) ः मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 2014 को सदन में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा मनरेगा के अंतर्गत श्रम और सामग्री का अनुपात 49ः51 करने की घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश की ग्रामीण, कृषि क्षेत्र और रोज़गार के साथ जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी नरेगा में सुधार और परिवर्तन करके जिला स्तर पर श्रम और सामग्री का अनुपात 49ः51 करने के निर्णय को पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। कई श्रम संगठनों के विरोध के चलते यह नीति अब तक लागू नहीं हो पाई है। इस नीति के लागू होने से परिसम्पतियों का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि इस नीति को शीघ्र ही देश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाये।

इसके अलावा, फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कृषि के व्यक्तिगत कार्यों की मद में पत्थर गढ़ी के कार्य की अनुमति दी गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि तारबंदी/बाड़बंदी के कार्य को भी मनरेगा की कृषि कार्यों की व्यक्तिगत मद में शामिल किया जाये।